

डॉ. अंबेडकर के धार्मिक और सामाजिक विचारधारा की वर्तमान में प्रासांगिता

डॉ. सुदेश, सहायक प्रवक्ता—इतिहास,

महिला महाविद्यालय, झोझू कलां, चरखी दादरी, हरियाणा।

शोध सार —

वर्तमान में हमारे लिए डॉ. अंबेडकर के धार्मिक व सामाजिक विचारों पर फिर से नजर डालना जरूरी हो गया है। भारत के परिदृश्य पर तेजी से छा रहे असहिष्णुता को रोकने के लिए डॉ. अंबेडकर की विचाराधारा हमारी मदद कर सकती है। वर्तमान में चल रही इस असहनशील विचाराधारा के निशाने पर देश की शान्ति ही नहीं है अपितु अहिंसा, भातृभाव व सदियों से चली आ रही गंगा—जमुना तहजीब भी है। इसके अतिरिक्त डॉ. अंबेडकर हमें धर्म की समालोचना करने और एक परिघटना के रूप में धर्म को समझने में सहायक हो सकते हैं। डॉ. अंबेडकर के धर्म संबंधी विचारों का पर्याप्त अध्ययन नहीं हुआ है। इसके दो कारण हैं — पहला यह कि एक लंबे अर्से से भारत में धर्म पर विचार केवल 'हिन्दू—मुस्लिम प्रश्न' तक सिमट कर रह गया है और दूसरा, क्योंकि 'प्रगतिशीलों' ने हमेशा धर्म को नजरअंदाज किया है। एक ओर उदारवादी यह कहते रहे कि धर्म, व्यक्ति का निजी मामला है और होना चाहिए, इसलिए उस पर सार्वजनिक विचार—विमर्श का कोई अर्थ नहीं है। जबकि दूसरी तरफ मार्क्सवादियों का यह तर्क रहा है कि धर्म एक फरेब है, जो लोगों को उनके असली आर्थिक हितों को समझने से रोकता है। परंतु क्या हम इस तथ्य को नजरअंदाज कर सकते हैं कि धर्म आज भी हमारी राजनीति और सामान्य लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। धर्म मनुष्य में आशा और दृढ़ विश्वास उत्पन्न करता है। धर्म और समाज आपस में जुड़े हुए हैं, धर्म मनुष्य के लिए आवश्यक माना गया है। धर्म के नाम पर किसी आडम्बर या पाखंड को स्वीकार नहीं

किया जा सकता। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित धर्म ही सच्चा धर्म है। डॉ. अंबेडकर, धर्म के कटु और निर्भीक आलोचक तो थे ही, इसके साथ-साथ उन्हें धर्म की गहरी समझ भी थी। यह अनूठा था, क्योंकि उनके समय में सार्वजनिक जीवन में सक्रिय लोग या तो धर्म को बांटने वाला और अतार्किक कहकर उनकी आलोचना करते थे या गांधी जी की तरह, यह मानते थे कि सभी धर्म सच्चे और हमारे सम्मान के पात्र हैं। आधुनिक भारत में सर्वधर्म समभाव की परिकल्पना अर्थात् राज्य द्वारा सभी धर्मों को एक दृष्टि से देखना – धर्मनिरपेक्षता की कसौटी बन गई है।

संकेत शब्द—

डॉ. अंबेडकर, समाज, धर्म, मूल्य व बंधुत्व।

प्रस्तावना

मानव जाति के इतिहास में धर्म एक सर्वाधिक शक्तिशाली प्रेरक शक्ति रहा है। धर्म ने अनेक राष्ट्र व साम्राज्यों को संजोया और उजाड़ा भी है। जहां धर्म अति क्रूर यथा बर्बर कार्यों को तथा अति जघन्य रीति-रिवाजों को मान्यता देता है, वही उसने अति शौर्य आत्म बलिदान और निष्ठा जैसे अति श्लाघनीय कृत्यों की प्रेरणा भी दी। जहां धर्म ने अति रक्तरंजित कार्य करवाए तो सुख और शांति के द्वार भी खोले हैं। कभी वह प्रगति विज्ञान और कला का कट्टर शत्रु रहा तो आज वह एक नई तथा प्रतिभाशाली सभ्यता का सृजन एवं लालन-पालन भी कर रहा है।

धर्म और समाज पर डॉ. अम्बेडकर के विचार—

डॉ. अम्बेडकर के अनुसार 'धर्म समाज' के संगठन का एक महत्वपूर्ण तत्व है। यह व्यक्ति या वर्ग का गुण न होकर मानव वैज्ञानिक धर्म है। धर्म और समाज व्यस्था अप्रथक रूप से जुड़े हुए हैं। प्रत्येक धर्म की एक समाज व्यस्था होती है। प्रायः प्रत्येक समाज व्यस्था के पीछे धार्मिक अनुमति पाई जाती है और उसे दैवी प्रदत्त समझा

जाता है क्योंकि धर्म को एक सामाजिक शक्ति माना गया है। डॉ. अम्बेडकर के अनुसार धर्म एक दिव्य प्रशासन की व्यवस्था का समर्थन करता है। यह व्यवस्था समाज के लिए एक अनुकरणीय आदर्श बन जाती है। वह आदर्श इस अर्थ में अस्तित्वहीन हो सकता है कि वह ऐसा कुछ है जिसे सृजित किया गया है जो यद्यपि अस्तित्वहीन पर वास्तविक है। आदर्श होने के नाते उसमें पूर्ण क्रियात्मक शक्ति है, जो किसी भी आदर्श में अंतर्निहित होती है। किसी लौकिक आदर्श की तुलना में धार्मिक आदर्श में कहीं अधिक सामर्थ्य एवं प्रतिष्ठा होती है, क्योंकि उसके पीछे दैवीय मंजूरी होती है। यह राष्ट्रीयता, देशभक्ति और शक्ति का एक स्रोत है। इस प्रकार डॉ. अम्बेडकर ने धर्म और समाज के अटूट सम्बन्ध को स्वीकार किया।

डॉ. अम्बेडकर धर्म को समाज के लिए आवश्यक मानते थे। उनका मानना था कि जिन सामाजिक रीति-रिवाजों और मानव मूल्यों पर आधारित समाज में व्यवहारिक होता है वही धर्म है और यही धर्म मानव मूल्यों पर मानव समाज को एक सूत्र में बांधकर राष्ट्रीयता का आधार मजबूत कर निर्बाध रूप से पथ-प्रशस्त करता है। डॉ. अम्बेडकर का कहना है कि धर्म का मूल्यांकन समाज की नैतिकता पर आधारित सामाजिक मानदण्डों द्वारा किया जाना चाहिए। यदि धर्म को जनकल्याण का मार्ग बनाना है तो निश्चय ही कोई और मानदण्ड उपयुक्त नहीं हो सकता। धर्म देश और राष्ट्र व्यक्ति व समाज को एकसूत्र में आबद्ध कर अन्तर्निहित शक्ति का संचार करता है। इसी से हमारा समाज व राष्ट्र मानव जीवन प्रगतिशील, सुशांत, सुदृढ़ व निक्षेप धरोहर बन सकता है। वे कहते थे कि “धर्म के प्रति युवा वर्ग की उदासीनता या उपेक्षा को देखकर मुझे दुःख होता है। धर्म कोई अफीम नहीं है जैसा कि कुछ लोग सोचते हैं। मैं धर्म को चाहता हूँ लेकिन धर्म के नाम पर किसी पाखंड या आडम्बर को नहीं चाहता, और न ही पसंद करता हूँ।” धर्म मनुष्य में आशा की जागृति करता है, उसे सकारात्मक कार्य करने को प्रेरित करता है। डॉ. अम्बेडकर के अनुसार धर्म आदमी की सेवा के लिए है, न कि आदमी धर्म के लिए। जो धर्म अपने अनुयायियों को अन्य धर्मों के साथ मानवता दिखाने का पाठ नहीं पढ़ाता, वह कोई धर्म नहीं है। वह धर्म

जो अज्ञानी को और अधिक अज्ञानी होने को बाध्य करता हो और गरीब को और अधिक गरीब बनाता हो, वह धर्म नहीं बल्कि निरिक्षण है। यदि लोग अपने धर्म के प्रति ठीक है या उन्हें धर्म में विश्वास है तो उन्हें विचार तथा अपने कर्म दोनों में इसका अनुसरण करना चाहिए।

डॉ. अम्बेडकर नियम और कानून के धर्म में विश्वास नहीं करते थे बल्कि उनके अनुसार वह भाव मानव धर्म पर आधारित है जो नैतिकता के रूप में समाज का आधार बनता है। नैतिकता का बंधन ही सामाजिक विकृति को दूर करता है। डॉ. अम्बेकर ने मानव धर्म को ही धम्म कहा है। धम्म अनिवार्यता तथा मौलिक रूप से सामाजिक है। धम्म में तीर्थस्थान प्रार्थना, कर्मकाण्ड, धर्मोत्सव अथवा बलिदानों के लिए कोई स्थान नहीं है। नैतिकता ही धर्म का आधार है। धम्म मानव को शुद्ध बनाने का मार्ग है। उनके अनुसार ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए आदमी को नैतिक बनने की आवश्यकता नहीं, यह मनुष्य के हित में है कि वह नैतिक बने और मनुष्य को प्रेम करें। धम्म नैतिकता के साथ-साथ स्वतंत्रता, समानता, भातृत्व, माधुर्य, सौम्यता को जीवन का अंग मानता है। डॉ. अम्बेडकर का कहना है कि जहाँ वर्ग विशेष का प्रभुत्व हो, वहाँ व्यक्ति विशेष का हित सुरक्षित नहीं है। वे सभी के लिए समान सिद्धांतों पर आधारित धर्म में विश्वास करते थे। उनके अनुसार, नियम प्रायोगिक है, ये कार्य करने या निर्णय करने का महत्वपूर्ण तरीका होते हैं। नियम कार्य करने की गति क्या है, ये खोजकर बताते हैं। सिद्धांत कार्य करने की विशेष गति को नहीं बताते बल्कि क्या और कैसे करना है ये बताते हैं। इस प्रकार सिद्धांत ठीक प्रकार से सोच समझकर अपने दिमाग से कार्य करने के लिए भी मौका देते हैं। अतः नियम और सिद्धांत में बहुत बड़ा अंतर है।

डॉ. अम्बेडकर ने धर्म को मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक माना है। प्रो. एल्वूड से सहमत होकर उन्होंने लिखा है कि धर्म मूलतः एक मूल्य निर्धारण प्रवृत्ति है, मनुष्य के विचारों से कई अधिक संकल्प और सर्वेदों को सार्वभौमिक बनाता है। यह संकल्प तथा संवेग के पक्ष को लेकर अपनी दुनिया के साथ-साथ विभिन्न मनुष्यों के

बीच समन्वय भी करता है। धर्म कई स्थान पर लोगों को हताश भी करता है तो अन्य स्थान पर उनमें साहस भी भरता है। वास्तव में धर्म मानव की मूल भावनाओं को सुदृढ़ करता है। धर्म जीवन में संकट का सामना करने के लिए शक्ति के नए स्तरों को बनाता है, साथ ही आंतरिक तथा बाह्य पक्षों में एक घनिष्ठ समन्वय स्थापित करता है।

डॉ. अम्बेडकर ने सामाजिक जीवन में धर्म की शक्ति को स्वीकार किया क्योंकि ये सामाजिक मूल्यों पर बल देता है। उन्हें सार्वभौमिक बनाता है, व्यक्ति के मन में स्थापित करता है, जो उन्हें अपने समस्त कार्यों में स्वीकारता है। डॉ. अम्बेडकर ने सामाजिक आधार पर धर्म की आवश्यकता पर बल दिया। धर्म सामाजिक भूमिका अदा करता है। वह समाज से संबंधित है न कि व्यक्ति से, धर्म मानव व्यक्तित्व और मानव समाज के आवश्यक मूल्यों को संसार में प्रेक्षित करता है। धर्म सामाजिक नियंत्रण का भी साधन है। धर्म का कार्य कानून और सरकार के कार्यों की तरह है, जिसके द्वारा समाज और व्यक्ति का आचरण नियंत्रित होता है। डॉ. अम्बेडकर के विचार से धर्म के समर्थन के बिना कानून और सरकार सामाजिक नियंत्रण के माध्यम की दृष्टि से बहुत ही अपर्याप्त है। धर्म सामाजिक आकर्षण का शक्तिशाली आधार है। जिसकी अनुपस्थिति में सामाजिक व्यवस्था बनाये रखना असंभव है।

यह कसौटी इसी विचार पर आधारित है कि सभी धर्म मूलतः अच्छे हैं। डॉ. अम्बेडकर जहां यह मानते थे कि धर्म, जीवन के लिए अपरिहार्य है और सार्वजनिक जीवन में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, वहीं वे इस बात से सहमत नहीं थे कि सभी धर्म अच्छे हैं। उन्होंने जब हिन्दू धर्म को असमानता का धर्म बताया क्योंकि वह जाति को पवित्र दर्जा देता है या जब वे अपने समर्थकों के साथ बौद्ध बने, तब दरअसल, जो वे कह रहे थे, वह यह था कि धर्म की आलोचना की जा सकती है, और की जानी चाहिए। वे धर्म को खारिज नहीं कर रहे थे। वे एक ज्यादा न्यायपूर्ण और सच्चे धर्म की ओर बढ़ रहे थे। यह सब उन्होंने लाहौर के जात-पात तोड़क मंडल जैसे अपने अनुयायियों को अपने से दूर करने का खतरा मोल लेकर भी किया। जातपात

तोड़क मंडल ने उन्हें 'एनिहीलेशन ऑफ कास्ट' पर उनका भाषण नहीं पढ़ने दिया था।

दूसरे, डॉ. अंबेडकर ने धर्म को केवल पहचान के रूप में देखने का कड़ा विरोध किया। जैसा कि हम जानते हैं, यूरोप में आधुनिकता का उदय, धर्म के विरुद्ध विवेक और चर्च के विरुद्ध राज्य को खड़ा कर हुआ। परंतु आधुनिकता न तो धर्म का उन्मूलन कर सकी और ना ही उसे केवल व्यक्तिगत आस्था का प्रश्न बना सकी। धर्म, सार्वजनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता रहा। जर्मन दार्शनिक कार्ल श्मिट के अनुसार, धर्म ने आधुनिक यूरोपीय राज्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हेगेल जैसे दार्शनिक, विश्व के नक्शे को धार्मिक इकाईयों (ईसाई धर्म व यूरोप, हिन्दू धर्म व भारत, कन्फ्यूशीयसवाद व चीन, इस्लाम व मध्यपूर्व इत्यादि) से बना मानते थे। इस तरह, धर्म, आधुनिकता के विमर्शों में भी पिछले दरवाजे से प्रवेश कर गया। उसे अब धर्म के रूप में नहीं बल्कि संस्कृति व सभ्यता के रूप में देखा जाने लगा। धर्म और संस्कृति के बीच का यह स्पष्टतः झूठा अंतर्संबंध, औपनिवेशिक काल में पूरे विश्व में स्वीकार्य हो गया क्योंकि औपनिवेशिक देशों ने पूरी दुनिया में लोगों को धार्मिक-सांस्कृतिक समुदायों के रूप में देखना और उन पर शासन करना शुरू कर दिया। नतीजे में भारत जैसे देशों में भी राष्ट्रवाद ने धार्मिक राष्ट्रवाद का स्वरूप ग्रहण कर लिया। यही कारण है कि डॉ. अंबेडकर के काल में धर्म की आलोचना करना बहुत कठिन बन गया था। वह इसलिए भी क्योंकि धर्म की आलोचना को राष्ट्रीय संस्कृति की आलोचना के रूप में देखा जाता था। जब डॉ. अंबेडकर ने हिन्दू धर्म की आलोचना की तो उससे उनके कई समकालीनों को धक्का लगा। इनमें गांधी जी भी शामिल थे। इन लोगों की यह मान्यता थी कि धर्म की आलोचना, दरअसल, भारतीय राष्ट्रवाद की आलोचना है। परंतु डॉ. अंबेडकर अपनी बात से डिगे नहीं। उन्होंने खुलकर कहा कि ऐसा राष्ट्रवाद, जो देश के नागरिकों के एक बड़े तबके (अर्थात् अछूतों) को अलग-थलग रखता है और उन्हें प्रताड़ित करता है, वह राष्ट्रवाद कहलाने लायक नहीं है। रवीन्द्रनाथ टैगोर के अतिरिक्त, डॉ.

अंबेडकर, उन चंद साहसी व्यक्तियों में से थे जिन्होंने उस समय राष्ट्रवाद की समालोचना की, जब भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन अपने चरम पर था। जाहिर है कि ऐसा करना किसी भी सार्वजनिक व्यक्तित्व के लिए खतरों से भरा था। “मेरा कोई देश नहीं है”, डॉ. अंबेडकर ने गांधी जी से कहा (यह हमें मार्क्स के इस प्रसिद्ध कथन की याद दिलाता है कि श्रमिक वर्ग का कोई देश नहीं होता)। जब डॉ. अंबेडकर ने अछूतों को ‘सामाजिक अल्पसंख्यक’ बताया और दमित वर्गों के लिए मुसलमानों की तरह पृथक मताधिकार की मांग की तब, दरअसल, वे बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक शब्दों को पुनर्परिभाषित कर रहे थे। वे उन्हें धार्मिक-सांस्कृतिक नहीं बल्कि विधिक-संवैधानिक वर्ग बता रहे थे। जैसा कि हम जानते हैं, इस नए वर्गीकरण ने स्वतंत्र भारत के प्रजातंत्र के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यही नहीं, डॉ. अंबेडकर का यह तर्क भी था कि धर्म को केवल सांस्कृतिक पहचान तक सीमित कर देना, उसे उसके असली महत्व से विहीन कर देना है। डॉ. अंबेडकर यह चाहते थे कि वे धर्म को स्वनियुक्त धार्मिकतावादियों के चंगुल से मुक्त करें व उन धार्मिकतावादियों के, जिन्होंने धर्म को केवल सांस्कृतिक आचरणों और प्रतीकों तक सीमित कर दिया था। उन्होंने स्वीकृत किया कि धर्म अपने दार्शनिक और धर्मशास्त्रीय आयामों पर फिर से लौटें। यह डॉ. अंबेडकर के धर्म पर पुनर्विचार का तीसरा महत्वपूर्ण पक्ष था, जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। अपनी पुस्तक ‘फिलॉसफी ऑफ हिन्दुज्म’ में डॉ. अंबेडकर लिखते हैं कि धर्म, मानव समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा इसलिए है क्योंकि वह मानव जीवन के आधारभूत प्रश्नों से जुड़ा हुआ है। जिनमें जन्म और मृत्यु, भोजन और रोग आदि शामिल हैं। परंतु यह कहने कि धर्म, मानव के अस्तित्व का भाग है, का यह अर्थ नहीं है कि सभी स्थानों और सभी कालों में धर्म मूलतः समान रहा है। सच्चाई इसके ठीक उलट है। डॉ. अंबेडकर का कहना था कि धर्म का इतिहास, क्रांतियों का इतिहास है और धर्म को समझने के लिए हमें पूरी दुनिया में उसमें आए भारी परिवर्तनों पर ध्यान देना होगा। डॉ. अंबेडकर का कहना था कि “क्रांति, दर्शन की जननी है”। यह दिलचस्प है कि डॉ. अंबेडकर आधुनिकता के पारंपरिक आख्यान से

सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि विज्ञान का उदय और धर्म पर उसकी तथाकथित विजय, धर्म के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम नहीं था। आंबेडकर के अनुसार धार्मिक इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण क्रांति 'ईश्वर का अविष्कार' थी। धर्म के बारे में डॉ. आंबेडकर की सोच का सबसे दिलचस्प पहलू है। 'आदिम' धर्मों के मानवशास्त्रीय अध्ययन से डॉ. आंबेडकर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि धर्म के पुराने स्वरूपों में न तो ईश्वर की अवधारणा थी और ना ही नैतिकता की। उस काल में धर्म मुख्यतः मृत्यु, बीमारी, जन्म, प्रगति, भोजन व अभावों जैसे दुनियावी मसलों से संबंधित था और उसके जरिए प्राकृतिक शक्तियों जैसे सूर्य, वर्षा, वायु, महामारियों इत्यादि को प्रसन्न करने की कोशिश की जाती थी। ये शक्तियां न तो अच्छी थीं और ना ही बुरी, न नैतिक और ना ही अनैतिक। उन्हें तो केवल तुष्ट किया जाना था, उनका दोहन किया जाना था और कभी-कभी उनसे संघर्ष किया जाना था। तत्कालीन समाज में नैतिकता तो थी परंतु वह मनुष्यों के परस्पर संबंधों को निर्धारित करने वाले मानदंडों के स्वरूप में थी। उसका धर्म से कोई लेना-देना नहीं था। दूसरे शब्दों में, धर्म केवल जिंदगी के बारे में था। उसकी जरूरतों के बारे में, उसके समक्ष प्रस्तुत खतरों के बारे में और उसकी समृद्धि के बारे में। धर्म को समाज में सुधार करने का साधन माना जाता है। यही कारण था जिसके कारण डॉ. आंबेडकर धर्म का समर्थन करते थे। लेकिन हमारे देश में अनेक धर्मों के प्रचलित होने के कारण देश की एकता अखंडता को ध्यान में रखकर उन्होंने देश को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने के लिए प्रयास किये। धर्मनिरपेक्ष राज्यों में आज भारत वर्ष का स्थान सर्वोच्च माना जाता है, जो कि डॉ. आंबेडकर की देन है। इस प्रकार डॉ. आंबेडकर के धार्मिक विचारों तथा धर्मनिरपेक्षता सम्बन्धी विचारों से यह पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है कि वे भारत में धर्म की कुव्यवस्था, अन्धविश्वासों तथा रुढ़िवादिताओं के विरोधी थे इसलिए उन्होंने धर्म को आवश्यक मानते हुए इसे व्यक्तिगत रूप से लोगों को स्वीकार करने पर बल दिया। इस दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि वास्तव में उनके धार्मिक विचार व्यावहारिक थे। वे धर्माधवाद अलोकिक सहधर्मियों के प्रति अमानवीय व्यवहार, ऊँच-नीच की भावना,

जातिवाद, वर्णव्यवस्था, छुआछुत, पूर्वाग्रह, असमानता, शोषण को धर्म के नाम पर नहीं चाहते थे, वे तो सच्चा धर्म चाहते थे। जो स्वतन्त्र चिंतन मानव चेतना, मित्रता, प्रेम, समानता स्वतन्त्रता और न्याय पर आधारित है। इसी कारण उन्होंने अपने जीवन के अन्तिम समय में एक धर्म (बौद्ध धर्म) को स्वीकार किया, जिसमें वे सभी गुण विद्यमान थे जिन्हें वे पसंद करते थे। बाबा साहेब का बौद्ध धर्म के बारे में विचार था कि बुद्ध का धर्म यानी नीति है। अन्य देवी-देवताओं की तरह बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध यह नहीं कहते कि मैं एक मोक्षदाता हूं। वे कहते हैं कि मैं समाज का एक पथप्रदर्शक हूं। यह बात काफी हद तक सही भी है। बुद्ध का मार्गदर्शन यानी सभी उपदेशक यर्थाथवादी हैं। उनकी तुलना में कृष्ण की गीता, ईसा मसीह का बाईबल और पैगंबर हजरत मौहमद साहब का उपदेश वैज्ञानिक दृष्टि से कम यर्थाथवादी और काल्पनिक अधिक हैं। उनमें कल्पनाओं की भरमार है। जबकि बौद्ध धर्म में ईश्वर की जगह नीति ने ली है। उसमें ईश्वर कहीं भी नहीं है। बौद्ध धर्म में बुद्धि, विवेक, ज्ञान और नीति निहित है, जबकि श्रीकृष्ण स्वयं को देवों का देव बताते हैं। ईसा स्वयं को देव पुत्र कहते हैं। पैगम्बर साहब ने खुद को खुदा का दूत बताया है। गीता कर्म पर जोर देती है और विनयपिटक नीति पर। क्योंकि कर्म छोटा-बड़ा, अच्छा-बुरा हो सकता है लेकिन नीति तो नीति है। वह सभी को एक जैसा ज्ञान देती है। महात्मा बुद्ध ने कर्म के बदले नीति को अपनाया। उनका धर्म समतापूलक है। बाबा साहेब ने सन् 1960 में महाबोधि संस्था की मासिक पत्रिका में 'बुद्ध और धर्म का भविष्य- विषय पर अपना एक महत्वपूर्ण लेख लिखा। इस लेख में उन्होंने लिखा कि समाज की स्थिरता के लिए कानून और नीति का आधार जरूरी है। इनमें से किसी एक के अभाव में समाज तितर-बितर हो जाएगा। धर्म के अस्तित्व के लिए बुद्धि का प्रामाणिक होना आवश्यक है। यही विज्ञान का दूसरा नाम है। अंबेडकर साहब के विचार से बौद्ध धर्म सभी अपेक्षाओं पर खरा उतरता है। यह एक ऐसा धर्म है जिसे पुरा विश्व स्वीकार करता है। 5 मई 1950 को बम्बई पहुंचते ही उनके पत्र 'जनता' के प्रतिनिधि ने जब उनसे पूछा कि क्या आपने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया है तब वे बोले – मेरे मन का

झुकाव उसकी ओर अवश्य हुआ है। बौद्ध धर्म के तत्व स्थाई और समता पर आधारित हैं। उस समय जनता के संपादक कोई और नहीं बल्कि उनके पुत्र यशवंतराय अम्बेडकर ही थे। बाबा साहेब ने उन्हें एकदम साफ बताया कि अभी उन्होंने न तो बौद्ध धर्म स्वीकार किया है और न ही अपने अनुयायियों को वह धर्म स्वीकार करने का आदेश दिया है। बौद्ध धर्म के सहारे वे व्यक्ति को संसार की सेवा करने एवं विश्वशांति की स्थापना करने जैसे सन्देश देकर मानव समाज और व्यक्ति दोनों का हित करना चाहते थे। इसी कारण 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने नागपुर में बौद्ध धर्म ग्रहण किया और घोषणा की 'बौद्ध धर्म एक व्यापक धर्म है, इसका मुख्य लक्ष्य दुखी मानवता का उद्धार करना है। यह धर्म न केवल संसार की सेवा का सन्देश देता है वरन विश्वशांति के लिए भी यही धर्म आवश्यक है'।

डॉ. अम्बेडकर के अनुसार 'धर्म समाज' के संगठन का एक तत्व है यह व्यक्ति या वर्ग का गुण न होकर मानव वैज्ञानिक धर्म है। यह राष्ट्रीयता, देशभक्ति और शक्ति का एक स्रोत है। डॉ. अम्बेडकर के अनुसार धर्म का मूल्यांकन समाज की नैतिकता पर आधारित सामाजिक मानदण्डों द्वारा किया जाना चाहिए। डॉ. अम्बेडकर ने अपने लेख—'Buddha and the future of his religion' में धर्म के निम्नलिखित लक्षण गिनाए हैं।⁷

1. समाज को निग्रह की आवश्यकता है। अर्थात् उसे नीति चाहिए।
2. यदि धर्म उपयोगी हो तो वह व्यवहार्य धर्म विवके पर आधारित होना चाहिए।
3. धर्म के नीति नियम ऐसे हो जो समता, स्वाधीनता और बंधुत्व से सुसंगत हो।
4. धर्म कभी भी दरिद्रता को उदात्त बनाए।

अतः इस प्रकार डॉ. अम्बेडकर के अनुसार धर्म समाज को एक नई दिशा प्रदान कर सकता है। उनके अनुसार धर्म के उर्पयुक्त गुण सभी धर्म के मूल में निहित होने से ही धर्म कल्याणकारी हो सकता है। डॉ० भीमराव अम्बेडकर आधुनिक भारत के प्रमुख विधि वेत्ता, समाजसुधारक थे। दलितों के मसीहा, समाज सुधारक डॉ० भीमराव अम्बेडकर एक राष्ट्रीय नेता भी थे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी जिसमें द

अनटचेबल्स हू आर दे?, हू वेयर दी शूद्राज, बुद्धा एण्ड हीज धम्मा, पाकिस्तान एण्ड पार्टिशन ऑफ इण्डिया तथा द राइज एण्ड फॉल ऑफ हिन्दू वूमन प्रमुख हैं। इसके अलावा उन्होंने 300 से भी अधिक लेख लिखे। भारत का संविधान निर्माण में भी सबसे प्रमुख भूमिका निभाई। सामाजिक भेदभाव व विषमता का पग-पग पर सामना करते हुए अन्त तक वे झुके नहीं। अपने अध्ययन, परिश्रम के बल पर उन्होंने अछूतों को नया जीवन व सम्मान दिया।

संदर्भ ग्रन्थ

1. धनन्जय कीर, डॉ. अम्बेडकर लाइफ एंड मिशन (१९६२)
2. डॉ बी आर अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेज, वोल. ३ (१९८७)
3. डॉ बी आर अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेज, वोल ४ (१९८७)
4. डॉ बी आर जाटव डॉ अम्बेडकर का धर्म दर्शन (१९६३)।
5. चांगदेव खेरमोड़े डॉ अम्बेडकर जीवन और चिंतन
6. अरमेन्द्र कुमार {2013} ऐसे बने थे डॉ. भीमराव अम्बेडकर, प्रकाशन नेशनल बुक कॉरपोरेशन, पृ. सं. 142.
7. प्रो. मधुसूदन त्रिपाठी, विनायक त्रिपाठी {2013} डॉ अंबेडकर का शिक्षा दर्शन, ओमेगा पब्लिकेशन, पेज न. 143.